जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित
मीटर रीडिंग में गड़बड़ी तो होगी सख्त कार्यवाही

जयपुर, 24 अक्टूबर। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने कहा कि मीटर रीडिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में मीटर रीडरों द्वारा सही रीडिंग नही लाने के कारण उपभोक्ताओं से आए दिन प्राप्त हो रही शिकायतों को देखते हुए एवं उपभोक्ता संतुष्टि हेतु मीटर रीडर द्वारा ली गई रीडिंग की काउन्टर चैकिंग सम्बन्धित कनिष्ठ एवं सहायक अभियन्ता द्वारा सेम्पल के तोर पर करके देखना चाहिए की मीटर रीडर द्वारा रीडिंग का कार्य सही तरीके से किया जा रहा है अथवा नही। जांच में यदि गड़बड़ी पाई जाए तो सम्बन्धित मीटर रीडर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही लॉस रिडक्शन कार्यक्रम की सर्किल वार समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी निगमकर्मी कार्य नही करेगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री श्रीमत् पाण्डे सोमवार को विद्युत भवन में आयोजित जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ऊर्जा विभाग के सलाहकार श्री आर.जी.गुप्ता एवं जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा भी इस बैठक में उपस्थित रहे। डिस्कॉम अध्यक्ष ने कहा कि सभी सर्किल अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मीटर रीडिंग का कार्य करने वाले मीटर रीडरों को यह स्प्ष्ट रुप से बता देना चाहिए कि मीटर रीडिंग में गड़बड़ी की तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्किल अभियन्ताओं को देखना चाहिए कि यदि कहीं असामान्य रुप से बिजली का ड्रावल बढ गया है और उस हिसाब से बिलिंग नही है तो उसकी जांच कर पता लगाना चाहिए कि गड़बड़ी किस स्तर पर है। इसके लिए प्रभावी मानिटरिंग के साथ ही मीटर रीडिंग के कार्य का नियमित सत्यापन भी किया जाना चाहिए।

ऊर्जा विभाग के सलाहकार श्री आर.जी.गुप्ता ने कहा कि विजीलेन्स कें लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके है इसके लिए डिस्कॉम द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिजली चोरी के मामलों में प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए एवं इस कार्य में पारदर्शिता रहे तथा बिजली चोरी के प्रकरणों में कनेक्शन काटने की कार्यवाही के साथ ही भरी गई वीसीआर का निस्तारण भी 90 दिवस की अवधि में किया जाना चाहिए।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक अनिल कुमार बोहरा ने हानि कम करने की योजना की वृत्तवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि फीडर मेनेजमेन्ट कमेटी की बैठक महिने में एक बार होनी चाहिए और लॉस रिडक्शन एवं बकाया वसूली के कार्य में इसका सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि खराब मीटरों को बदलने के कार्य को दिसम्बर, 2016 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए अन्यथा जवाबदेही निर्धारित कर दी जाएगी। बिजली चोरी के मामलों में कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाए एवं वीसीआर सही तरीके से भरी जाए। श्री बोहरा ने अनाधिकृत पेयजल योजनाओं के कनेक्शन, स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना, एमनेस्टी योजना की सर्किल वार प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि ब्लॉक सप्लाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं इसकी प्रभावी मानिटरिंग की जाए तथा निर्धारित ब्लॉक के अनुसार विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना, विद्युत दुर्घटनाओं की स्थिति एवं उपभोक्ता शिकायतों के समाधान की स्थिति, सरकारी विभागों पर बिजली की बकाया राशि आदि के बारे में सर्किल अभियन्ताओं से विस्तार से चर्चा की एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 465/2016